राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 631/2023

किरण सोनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. सुनीता बाई मीणा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अनन्तपुरा, जेतपुरा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2023
आदेश की दिनांक : 09.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से : श्री मनोज ओजला, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अनन्तपुरा, जेतपुरा, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नासिरदा, टोंक किया गया है। उसका स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है। अपीलार्थी के दो बेटियां हैं, जो तीन एवं सात वर्ष की हैं। अपीलार्थी के पति डाक सहायक के पद पर मोरिजा, चौमूं, जयपुर में कार्यरत हैं। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक वर्ष में तीन बार स्थानान्तरण किया जा चुका है और आलोच्य आदेश के द्वारा पुनः जयपुर से टोंक जिले में स्थानान्तरण कर दिया गया जबकि अपीलार्थी परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए आलोच्य आदेश जारी किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान जयपुर में ही कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह तर्क किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण विधि एवं नियमों के अनुसार ही किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण पूर्व में उसके स्वेच्छा से किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर जनहित में किया गया है, जिसमें कोई नियम विरूद्धता एवं दुर्भावना नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अनन्तपुरा, जेतपुरा, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले में अपीलार्थी की परेशानियों तथा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य